


राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02-06-2014

शुद्धि पत्र

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(17)वित्त/कर/2010-25 दिनांक 29.5.2013 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 04.10.2013 के क्रम संख्या 2 पर कॉलम संख्या 3 की क्रम संख्या vi के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति "नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसीलदार, गोविन्दगढ" पढ़ा जावे।

(सं.एफ.2(17)वित्त/कर/10-3 )  
राज्यपाल के आदेश से,

  
(अपूर्व जोशी)

शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व)

राजस्थान-सरकार


कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,  
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ-7(37)जन/2013/पार्ट-1/ 6598 - 6611

दिनांक : 28/7/14

अधिसूचना क्रमांक एफ.2(17)वित्त/कर/10-3 दिनांक 02.06.14 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कलक्टर एवं जिला पंजीयक, अलवर।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), अलवर।
9. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचनाओं की प्रति विभाग की वेबसाईट [www.igrs.rajasthan.gov.in](http://www.igrs.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
10. उप पंजीयक, गोविन्दगढ अलवर को पालनार्थ।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

  
(मिरजू राम शर्मा)  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर